षोडश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-25.11.2019 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री रमेश सिंह कुशवाहा, स०वि०स० श्रीमती बेबी कुमारी, स०वि०स० श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री रत्नेश सादा, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० श्री शशि भूषण हजारी, स०वि०स० श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० श्री संजीव चौरसिया, स०वि०स० श्री विद्या सागर सिंह निषाद, स०वि०स० श्री राजू तिवारी, स०वि०स० श्री मेवालाल चौधरी, स०वि०स० श्री रवि ज्योति कुमार, स०वि०स० श्री राघव शरण पाण्डेय, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र सं०-203)	बिहार राज्य में संचालित 11 चीनी मिलों में गन्ना के पेराई सत्र 2018-19 के समाप्ति के लगभग 8 माह बीत जाने के बाद भी किसानों के पैसे का पूर्ण भुगतान नहीं हो पाया है । दिनांक-20.11.2019 तक की अद्यतन स्थिति में रीगा शुगर फैक्ट्री में मात्र 25% एवं सासामुसा शुगर फैक्ट्री में मात्र 40% ही भुगतान हुआ है । अन्य मिलों में भी किसानों के 28917.62 लाख रूपया बकाया है, जिससे कृषकों को भारी आर्थिक कठिनाई हो रही है, जबकि प्रावधानानुसार पैसे का भुगतान गन्ना आपूर्ति से 14 दिन के बाद करने पर सूद के साथ पेमेंट करना है । अतएव किसानों के बकाये पैसे का भुगतान के साथ-साथ 14 दिनों के बाद किये गये पेमेंट पर कृषकों को सूद के साथ भुगतान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	गन्ना उद्योग

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० श्री लाल बाबू राम, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री रामदेव राय, स०वि०स० श्री सीताराम यादव, स०वि०स० श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री उपेन्द्र पासवान, स०वि०स० श्री केदार नाथ सिंह, स०वि०स० श्री शमीम अहमद, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स०	दिसम्बर माह में पैक्सों का चुनाव होने के कारण किसानों से धान की खरीद नहीं हो रही है और एक बार फिर बिहार के किसान बिचौलियों के हाथों औने-पौने दाम पर अपना धान बेचने को मजबूर हैं । लागत खर्चो के महंगा होने के कारण किसानों की खेती घाटे में जा रही है । घाटे की खेती का भार उठा रहे सूबे के बटाईदार किसानों के पास खेती करने का कोई प्रमाण नहीं होने के कारण उनसे धान की खरीद नहीं की जाती है । अतएव व्यापार मंडल, एस.एफ.सी. और एफ.सी.आई. के माध्यम से सभी बटाईदार व भूधारी किसानों से तत्काल बिना कागजात के धान खरीद शुरू कराने, धान का समर्थन मूल्य तीन हजार रूपये करने व राज्य सरकार द्वारा एक हजार रूपये प्रति क्विंटल बोनस देने और हाथों-हाथ धान के मूल्य का भुगतान चेक द्वारा कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	सहकारिता / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/19-383 / वि०स०, पटना, दिनांक-22 नवम्बर, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गन्ना उद्योग विभाग / सहकारिता विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/11/19
(पाण्डव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/19-383 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 नवम्बर, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

22/11/19
(पाण्डव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।